बड़ौत(बागपत)

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

पत्रांक -73 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय दिनांक :– 10 -05-2024

सेवा मे,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रधान पीठ,
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली - 110001 ।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित **O.A. No 645 / 2023 Lalit Kumar Jain Versus State of Uttar Pradesh** के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 08-01-2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में मूल आवेदन संख्या 645 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 15-03-2024 के अनुपालन में ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बडौत की ओर से रिपोर्ट आपके अवलोकन और आगे की कार्यवाही के लिये संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, बागपत की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अंकित वर्मा एडवोकेट, स्टेंडिग काउंसिल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित वाद 645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 15-03-2024 के अनुपालन में बिन्दुवास सूचना आख्या निम्नवत है।

1. **Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat should take necessary steps to stop illegal disposal of solid and plastic waste in Rajbaha.**

आख्या :- नगर पालिका सीमान्तर्गत सडको एवं गलियो में पडे हुये सालिड वेस्ट तथा प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा कर स्क्रीनिंग हेतु एम.आर.एफ. सैन्टर पर भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त राजवाहे के समीपवर्ती भवन स्वामियो द्वारा जो सालिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एवं कूडा-कचरा राजवाहे में डाला जाता है, उसकी नियमित रुप से सफाई की जाती है तथा उक्त भवन स्वामियो को राजवाहे में पाईप के माध्यम से गन्दा पानी एवं कूडा-कचरा न गिराये जाने हेतु नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की गयी है।

2. **NPP should immediately establish screens at required places to stop the plastics and garbage flow in the Rajbaha.**

आख्या :- नगर पालिका परिषद बडौत द्वारा मीरापुर राजवाहे पर चिन्हित 4 स्थानो 1. मजदूरो वाले पुल, 2. गाँधी रोड पुल, 3. नेहरु रोड पुल एवं 4. गुराना रोड पुल पर स्क्रीनिंग जाली लगवा दी गयी है। मीरापुर राजवाहा सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमो की समीक्षा बैठक दिनांक 09-06-2023 में जिलाधिकारी महोदय बागपत द्वारा कस्बा बडौत में राजवाहे में आने वाले गन्दे पानी / गन्दगी की निकासी हेतु समिति गठित की गयी। गठित समिति के निरीक्षण आख्या दिनांक 01-07-2023 द्वारां सिचांई विभाग के स्तर से 2800 मीटर राजवाहे को आर0 सी0 सी0 Box Culvert निर्माण कर प्रवर्तित किये जाने की अनुशंसा की गयी। जिससे राजवाहे को ऊपर से क्लोज किये जाने के साथ-साथ राजवाहे की चौडाई को रोड के उपयोग हेतु प्रयोग में लाया जा सकें। साथ ही **Box Culvert की दोनो साईड आर0 सी0 सी0 होने के कारण भविष्य में नगर के किसी नाली / नाले को उक्त राजवाहे में मिलाने / प्रवाहित करने की सम्भावना भी समाप्त हो जायेगी। Box Culvert निर्माण के सम्बन्ध में सिचांई विभाग बडौत को पालिका द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 491 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय दिनांक 14-03-2024 (ANX-1) एवं पत्रांक 66 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय दिनांक 08-05-2024 (ANX-2) को पत्र प्रेषित किया गया है।**

3. **NPP Should regularly clean this channel.**

आख्या :- नगर पालिका परिषद बडौत द्वारा प्रतिदिन मीरापुर राजवाहे की साफ-सफाई करायी जाती है। नगर बडौत की सीमान्तर्गत स्थित मीरापुर राजवाहा 1-3 किमी0 तक घनी आबादी क्षेत्र से निकलता है। सिचाई विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सीजनली उक्त राजवाहे की सफाई का कार्य कराया जाता है। आम नागरिको को राजवाहे में कुडा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु आबादी क्षेत्र में विभिन्न स्थानो पर फलेक्स बोर्ड लगाये गये है। समय समय पर राजवाहे की पटरी व सम्बन्धित आबादी में राजवाहे में कूडा कचरा गोबर आदि न डालने हेतु मुनादी करायी जाती है। पालिका द्वारा उक्त क्षेत्र में पडने वाले वार्ड न 19-20 में डोर-टू-डोर कूडा गाडी संख्या UP 17 AT 9467 चालक श्री हरदीप आउटसोर्स कर्मचारी, वार्ड नम्बर 10-16 टैम्पो नम्बर UP 17 AT 9455 चालक श्री मनीष आउटसोर्स कर्मचारी, वार्ड नं 18 में टैम्पो नम्बर UP 17 AT 0207 चालक श्री अश्वनी आउटसोर्स कर्मचारी, वार्ड 17 में गाडी संख्या UP 17 AT 9466 चालक श्री रोहित आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा डोर-टू-डोर कूडा कलेक्शन का कार्य किया जाता है। जिसका सुपरविजन श्री सुशील कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एवं श्री सतेन्द्र देव सिंह धीराणा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक एवं श्री अंकित शर्मा आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा किया

जा रहा है। इसके अतिरिक्त चार सफाई कर्मी उक्त वार्डो / क्षेत्र में हाथ रेढे के द्वारा डोर-टू-डोर कूडा एकत्रित का कार्य करते है।

4. NPP, Baraut should make plan for sewage network and treatment of the sewage."

आख्या :- नगर पालिका सीमान्तर्गत मीरापुर राजवाहे में जनित **अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. की स्थापना, शासनादेश संख्या 2514/9-3-21-2514स/2021 नगर विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2022 (ANX-3) के क्रम में उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय) बागपत के स्तर की जानी है। जिस सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभाग को इस कार्यालय के पत्र संख्या 52 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय दिनांक 04-05-2024 (ANX-4) एवं पत्र संख्या 493 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय दिनांक 14-03-2024 (ANX-5) के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, जोकि संलग्न है। वर्तमान मे पालिका द्वारा मीरापुर राजवाहे में प्रवाहित हो रहे नाला / नालियो का पानी अस्थायी रुप से विभाजित करने हेतु मौकानुसार आगणन अंकन 19914404/- रुपये की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। जो नियमानुसार पालिका बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त ई-टैण्टर प्रक्रिया अपनाते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।**

दिनांक 8-01-2024 को जिलाधिकारी महोदय बागपत के आदेशानुसार गठित समिति के तत्वाधान में सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ, संहायक अभियन्ता, सिचाई खण्ड, बडौत, अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0, बडौत, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता,न0पा0परि0, बडौत द्वारा दिनांक 14-02-2024 को मीरापुर राज़वाहे का निरीक्षण किया गया। जिसमे पाया गया कि मीरापुर राजवाहा लगभग 25 किलोमीटर लम्बा है, जो ग्राम पिलाना जनपद बागपत तक जाता है। पालिका सीमान्तर्गत उक्त राजावाहा 5 किलोमीटर लम्बाई में है। राजवाहे का पानी का प्रयोग केवल सिंचाई हेतु किया जाता है। उक्त राजवाहे का पानी किसी भी वाटर बोडी में नही जाता है। **क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा राजवाहे के पानी का नमूना लिया गया तथा दिनांक 19-02-2024 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजवाहे के पानी के नमूने की जाँच में pH, B.O.D., C.O.D, एवं T,S.S. की मात्रा सिचाई हेतु अनुरुप पायी गयी। (ANX-6) नमूने की रिपोर्ट संलग्न है।** बायोरेमिडियेशन के पश्चात राजवाहे के Down Stream पर पानी की गुणवत्ता सिचांई उद्देश्य हेतु मानको के अनुसार पायी गयी। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त राजवाहे का पानी जहरीला नही है तथा सिचाई योग्य है।

उक्त रिपोर्ट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बड़ौत

ANX-1

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत) ।

बड़ौत (बागपत)

पत्रांक - 491/ 2023-24 / मुख्य कार्यालय दिनांक :- 14 -03-2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
सिचांई विभाग
खण्ड बडौत (बागपत) ।

विषय :- नगर पालिका परिषद बडौत स्थित मीरापुर राजवाहे में प्रवाहित नगर क्षेत्र के अपशिष्ठ जल व कूडे की रोक-थाम हेतु गठित समिति द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15-06-2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 91 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय, दिनांक 01-07-2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमे जिलाधिकारी महोदय बागपद द्वारा गठित समिति ने मीरापुर राजवाहे का संयुक्त निरीक्षण किया। जिसमे समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि आपके विभाग द्वारा समस्त मीरापुर राजवाहे 2800 मीटर को आर0सी0सी0 Box Culvert निर्माण कर प्रवर्तित किया जाये ताकि न केवल उक्त राजवाहा ऊपर से क्लोज किया जा सके बल्कि राजवाहे की चौडाई को रोड के उपयोग हेतु भी प्रयोग मे लाया जा सकता है। Box Culvert की दोनो साईड आर0सी0सी0 होने के कारण भविष्य मे नगर की किसी भी नाली / नाले को उक्त राजवाहे मे मिलाने / प्रवाहित करने की सम्भावना समाप्त हो जायोगी।

अतः उपरोक्त कार्य समिति द्वार दिये गये सुझाव के अन्तर्गत आपके विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तत् क्रम में उक्त कार्य अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

o/c
16/3/24

ANX-2

अति महत्वपूर्ण

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

नगर पालिका परिषद बड़ौत(बागपत)

पत्रांक - 66 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय दिनांक :- 08 -05-2024

प्रथम अनुस्मारक

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
सिचांई विभाग
खण्ड बडौत (बागपत)।

विषय :- नगर पालिका परिषद बडौत स्थित मीरापुर राजवाहे मे प्रवाहित नगर क्षेत्र के अपशिष्ठ जल व कूडे की रोक-थाम हेतु गठित समिति द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15-06-2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 491 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय, दिनांक 14-03-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसमे पालिका द्वारा आपके विभाग के समस्त मीरापुर राजवाहे 2800 मीटर को आर0सी0सी0 Box Culvert निर्माण कर प्रवर्तित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मीरापुर राजवाह मे साडिल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एव कूडा करकट आदि गिरने के कारण **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में वाद O.A. No 645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दिनांक 08-01-2024** मे वाद योजित है। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त गिरने वाले सालिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एव कूडा करकट रोकने हेतु निर्देशित किया है। जिसके क्रम मे पूर्व मे ही सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमो की समीक्षा बैठक दिनांक 09-06-2023 में जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा कस्बा बडौत मे राजवाहे मे आने वाले गन्दे पानी / गन्दगी की निकासी हेतु समिति गठित की गयी थी। गठित समिति के निरीक्षण आख्या दिनांक 01-07-2023 द्वारा सिचांई विभाग के स्तर से 2800 मीटर राजवाहे को आर0 सी0 सी0 Box Culvert निर्माण कर प्रवर्तित किये जाने की अनुशंसा की गयी। जिससे राजवाहे को ऊपर से क्लोज किये जाने के साथ-साथ राजवाहे की चौडाई को रोड के उपयोग हेतु प्रयोग में लाया जा सकें। साथ ही **Box Culvert की दोनो साईड आर0 सी0 सी0 होने के कारण भविष्य में नगर के किसी नाली / नाले को उक्त राजवाहे में मिलाने / प्रवाहित करने की सम्भावना भी समाप्त हो जायेगी।**

जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा गठित समिति के सुझाव अनुसार समस्त मीरापुर राजवाहे (2800 मीटर) को आर0सी0सी0 Box Culvert निर्माण आपके विभाग के स्तर से किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि जन-हित में प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त निर्माण कार्य का मौका निरीक्षण कर डी.पी.आर. तैयार कराते हुये शीघ्रतातिशीघ्र कार्य कराने का कष्ट करें। जिससे **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली** मे योजित वाद **O.A. No 645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दिनांक 08-01-2024** का निस्तारण किया जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

9/5/24 O/C

08/05/2024
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

ANX – 3

1243
18/1/22

4134
17/01/2022

संख्या–2514/9–3–21–2514स/2021

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

18-01-2022
(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बड़ौत।

नगर विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉक 07 जनवरी, 2022

विषयः–उ0प्र0 जल निगम के विभाजन के फलस्वरूप नगरीय कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–800/79–वी–1–21 –1–क–29–21 लखनऊ 24 अगस्त, 2021 द्वारा तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम का विभाजन उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामणी) में किया गया है। संशोधित अधिनियम के अनुसार उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की अधिकारिता का क्षेत्र नगरीय है तथा इसे संशोधित अधिनियम में नगरीय क्षेत्र हेतु कृत्यों की भी व्याख्या की गयी है, जिसमें एक कृत यह भी है कि "राज्य सरकार एवं नगरीय स्थानीय निकायों को निजी संस्था या व्यक्तियों पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थायें करना है।" संशोधित अधिनियम में नगरीय स्थानीय निकायों से तात्पर्य "नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अथवा किसी नगरीय समिति" से है। संशोधित अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्र के कार्य, जिसका वित्त पोषण नमामिगंगे कार्यक्रम से न हो, को विभाजन के उपरान्त उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराया जाना है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति, सीवरेज व्यवस्था से सम्बन्धित संचालित कार्यों एवं डिपाजिट कार्यों को उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) से ही कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव,

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रवन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

DC 62927

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव,

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

संख्या– 4/34 /पेयजलापूर्ति/सीवरेज/2021–22, लखनऊः दिनांक 17 जनवरीः 2022

संख्या एवं दिनॉक तदैव

गत पृष्ठ में निर्गत आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उ0प्र0 शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

1–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ0प्र0।

2–समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को अनुपालनार्थ।

3–जूनियर प्रोग्रामर,स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 को ई–मेल हेतु।

(गंगाराम गुप्ता)
संयुक्त निदेशक।

ANX – 4

अति महत्वपूर्ण

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

बडौत/बागपत

पत्रांक - 52 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय दिनांक :- 04 -05-2024

प्रथम अनुस्मारक

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता
उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय)
बागपत।
Email :- eecdupjn.bagh@gmail.com

विषय :- नगर पालिका परिषद बडौत स्थित मीरापुर राजवाहे मे प्रवाहित नगर क्षेत्र के अपशिष्ट जल व कूडे की रोक-थाम हेतु आपके द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण दिनाक 15-06-2023 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्राक 493 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय, दिनाक 14-03-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसमें जिलाधिकारी बागपत महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा मीरापुर राजवाहे का संयुक्त निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझाव के अनुसार आपके विभाग द्वारा कस्बा बडौत मे 15 किलोमीटर मैन सीवर लाईन, 5 MLD, STP, IPS, I&D Work व तत्सम्बन्धी आदि कार्य अमृत 2.0 योजनान्तर्गत आपके विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

जिसके क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उक्त से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में वाद **O.A. No 645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश** दिनांक 08-01-2024 मे वाद योजित है। जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सन्दर्भ HO 9972/सी-3/NGT.375/2024 दिनांक 25-04-2024 का पत्र (संलग्न) प्राप्त हुआ है। जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नगर पालिका बडौत द्वारा सीवरेज शोधन हेतु एस.टी.पी. स्थापित किये जाने के आदेश दिये है तथा पालिका क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड / पार्शियली टैप्ड नालो से सिंचाई विभाग के मीरापुर राजवाहे में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवरेज यथा नगर पालिका परिषद बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे नोटिस की पुष्टि की है।

कस्बा बडौत मे 15 किलोमीटर मैन सीवर लाईन, 5 MLD, STP, IPS, I&D Work व तत्सम्बन्धी आदि कार्य संलग्न **शासनादेश संख्या 2514/9-3-21-2514सा/2021 नगर विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2022** के क्रम मे आपके विभाग द्वारा ही किये जने है। अतः आपसे अनुरोध है कि जन-हित में प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त कार्य का मौका निरीक्षण कर डी.पी.आर. तैयार कराते हुये शीघ्रतातिशीघ्र कार्य कराने का कष्ट करें। जिससे **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली** मे योजित वाद **O.A. No 645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दिनांक 08-01-2024** का निस्तारण किया जा सके।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

Babita
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बडौत।

ANX-5

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

बड़ौत (बागपत)

पत्रांक -493 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय दिनांक :- 14 -03-2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय)
बागपत।

विषय :- नगर पालिका परिषद बडौत स्थित मीरापुर राजवाहे में प्रवाहित नगर क्षेत्र के अपशिष्ठ जल व कूडे की रोक-थाम हेतु आपके द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15-06-2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 91 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय, दिनांक 01-07-2023 के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक 15-06-2023 को मीरापुर राजवाहे का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। जिसमे समिति द्वारा सुझाव दिया गया। आपके विभाग द्वारा कस्वा बडौत में 15 किलोमीटर मैन सीवर लाईन, 5 MLD, STP, IPS, I&D Work व तत्सम्बन्धी आदि कार्य आपके विभाग द्वारा अमृत 2.0 योजनान्तर्गत किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त कार्य को अमृत 2.0 योजनान्तर्ग अपने स्तर से अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

O/C

16-3-24

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

बड़ौत(बागपत)

पत्रांक - 67 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय दिनांक :- 08-05-2024

सेवा मे,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
बोर्ड मुख्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
Email :- info@uppcb.com

कार्यालय नगर पालिका परिषद बड़ौत (बागपत)

महोदय,

कृपया मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त – 3, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सन्दर्भ संख्या HO 9972/सी-3/NGT.375/2024 दिनांक 25-04-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. सं. 645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 08-01-2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित स्थल का निरीक्षण दिनांक 14-02-2024 को किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या में नगर पालिका क्षेत्र में जनित सीवेज उत्प्रवाह को बायोरेमिडियेशन प्रक्रिया के पश्चात सिंचाई विभाग के मीरापुर राजवाहे में निस्तारित किया जाता पाया गया है, का उल्लेख किया गया है। जिसके सम्बन्ध में बोर्ड के पत्र संख्या HO 7548/सी-3/NGT.375/2024 दिनांक 23-02-2024 द्वारा नगर पालिका को प्रश्नगत राजवाहे में सालिड वेस्ट तथा प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण को तत्काल रोके जाने, ठोस अपशिष्ठ को डम्प नही किये जाने तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम 2016 के प्राविधानो के अनुसार ही निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं जनित सीवेज उत्प्रवाह के शोधन हेतु प्रर्याप्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना करने एव कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसो में बोर्ड में प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत्त है :-

विन्दु संख्या 1 नगर पालिका सीमान्तर्गत सडको एवं गलियो में पडे हुये सालिड वेस्ट तथा प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा कर स्क्रीनिंग हेतु एम.आर.एफ. सैन्टर पर भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त राजवाहे के समीपवर्ती भवन स्वामियो द्वारा जो सालिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एवं कूडा-कचरा राजवाहे में डाला जाता है, उसकी नियमित रुप से संफ़ाई की जाती है तथा उक्त भवन स्वामियो को राजवाहे में पाईप के माध्यम से गन्दा पानी एवं कूडा-कचरा न गिराये जाने हेतु नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की गयी है।

विन्दु संख्या 2 नगर पालिका सीमान्तर्गत मीरापुर राजवाहे में जनित अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस.टी.पी. की स्थापना, शासनादेश संख्या 2514/9-3-21-2514स/2021 नगर विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2022 के क्रम में उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय) बागपत के स्तर की जानी है। जिस सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभाग को इस कार्यालय के पत्र संख्या 52 / 2024-25 / मुख्य कार्यालय दिनांक 04-05-2024 एवं पत्र संख्या 493 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय दिनांक 14-03-2024 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, जोकि संलग्न है। वर्तमान मे पालिका द्वारा मीरापुर राजवाहे में प्रवाहित हो रहे नाला / नालियो का पानी अस्थायी रुप से विभाजित करने हेतु मौकानुसार आगणन अंकन 19914404/- रुपये का तैयार किया गया है। जो नियमानुसार पालिका बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त ई-टैण्टर प्रक्रिया अपनाते हुये वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

विन्दु संख्या 3 मीरापुर राजवाहा सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमो की समीक्षा बैठक दिनांक 09-06-2023 में जिलाधिकारी महोदय बागपत द्वारा कस्बा बडौत में राजवाहे में आने वाले गन्दे पानी / गन्दगी की निकासी हेतु समिति गठित की गयी। गठित समिति के निरीक्षण आख्या दिनांक 01-07-2023 द्वारा सिचाई

विभाग के स्तर से 2800 मीटर राजवाहे को आर0 सी0 सी0 Box Culvert निर्माण कर प्रवर्तित किये जाने की अनुशंसा की गयी। जिससे राजवाहे को ऊपर से क्लोज किये जाने के साथ-साथ राजवाहे की चौडाई को रोड के उपयोग हेतु प्रयोग में लाया जा सकें। साथ ही **Box Culvert की दोनो साईड आर0 सी0 सी0 होने के कारण भविष्य में नगर के किसी नाली / नाले को उक्त राजवाहे में मिलाने / प्रवाहित करने की सम्भावना भी समाप्त हो जायेगी।** Box Culvert निर्माण के सम्बन्ध मे सिचाई विभाग बडौत को पालिका द्वारा कार्यालय पत्र सख्या 491 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय दिनाक 14-03-2024 को पत्र प्रेषित किया गया है, जोकि सलग्न है ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ.ए. स. 645 / 2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनाक 08-01-2024 के अनुपालन मे जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार गठित समिति के तत्वाधान मे सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ, सहायक अभियन्ता, सिचाई खण्ड, बडौत, अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0, बडौत, सहायक अभियन्ता एव अवर अभियन्ता,न0पा0परि0, बडौत द्वारा दिनांक 14-02-2024 को मीरापुर राजवाहे का निरीक्षण किया गया। जिसमे पाया गया कि मीरापुर राजवाहा लगभग 25 किलोमीटर लम्बा है, जो ग्राम पिलाना जनपद बागपत तक जाता है। पालिका सीमान्तर्गत उक्त राजावाहा 5 किलोमीटर लम्बाई मे है। राजवाहे का पानी का प्रयोग केवल सिंचाई हेतु किया जाता है। उक्त राजवाहे का पानी किसी भी वाटर बोडी मे नही जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा राजवाहे के पानी का नमूना लिया गया तथा दिनांक 19-02-2024 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजवाहे के पानी के नमूने की जॉच में pH, B.O.D., C.O.D, एवं T,S.S. की मात्रा सिचाई हेतु अनुरुप पायी गयी। **नमूने की रिपोर्ट संलग्न है।** बायोरेमिडियेशन के पश्चात राजवाहे के Down Stream पर पानी की गुणवत्ता सिचांई उद्देश्य हेतु मानको के अनुसार पायी गयी। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त राजवाहे का पानी जहरीला नही है तथा सिचाई योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यो से अवगत होते हुये स्पष्टीकरण निक्षेपित करने का कष्ट करे।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, बागपत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रिय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H09972/सी–3/NGT-375/2024 S.F.I/JE/PWC दिनांक 25/04/2024

सेवा में, **पजीकृत**

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बड़ौत,
जनपद–बागपत।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–645/2023 ललित कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित स्थल का निरीक्षण दिनांक 14.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पालिका क्षेत्र से जनित सीवेज उत्प्रवाह को बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया के पश्चात सिचाई विभाग के मीरापुर रजवाहे में निस्तारित किया जाता पाया गया है। जिसके संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या H07548/सी–3/NGT-375/2024 दिनांक 23.02.2024 द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत रजवाहे में सालिड वेस्ट तथा प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण को तत्काल रोका जाये तथा ठोस अपशिष्ट को डम्प नहीं किया जाये तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार ही निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं जनित सीवेज उत्प्रवाह के शोधन हेतु पर्याप्त क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना करे एवं कृत कार्यवाही का विवरण 15 दिवसो में बोर्ड मे प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के संबंध मे आप द्वारा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या उपलब्ध नही करायी गयी।

अग्रेतर मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओए सं0 645/2023 Lalit Kumar Jain. Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के अनुपालन एवं अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"…………We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF………."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के संबध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के पत्राक 59/*G/OA-645/Lalit Kumar*/2024 दिनांक 08.04.2024 एवं पत्रांक 69/*G/OA-645/Lalit Kumar*/2024 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद बड़ौत, जनपद–बागपत द्वारा सीवेज शोधन हेतु एस.टी.पी. स्थापित नही किया गया है तथा वैकल्पिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र से जनित सीवेज उत्प्रवाह को बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया के पश्चात सिचाई विभाग के मीरापुर रजवाहे में निस्तारित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत रजवाहे का दूषित होना सम्भावित है।

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

8……Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP……"

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 एवं 15.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के विरूद्ध दिनांक–01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों से सिचाई विभाग के मीरापुर रजवाहे में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

Atulesh yadav

(अतुलेश यादव)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, बागपत।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बडौत, जनपद–बागपत को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

/

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–3

Report in compliance of Hon'ble NGT Order dt.08.01.2024 in Original Application No. 645 of 2023, Lalit Kumar Jain Vs State of U.P.

Background-

Hon'ble NGT in its Order Dated 08.01.2024 in Original Application No. 645 of 2023, Lalit Kumar Jain Vs. State of U.P., which is registered on the basis of letter petition filed by complainant Lalit Kumar Jain. Order of the Hon'ble Tribunal is as below:-

...." 1. This original application is registered on the basis of the letter petition sent by one Mr. Lalit Kumar Jain resident of Nehru Road, Baraut, Baghpat. In the letter petition the complaint is in respect of discharge of sewage in the irrigation canal known by the name of Rajwahe. It is stated that the said irrigation canal flows from Baraut and goes to different villages and the water of this canal is used for the irrigation purposes but the Municipal Corporation, Baraut is discharging the effluents from several drains in this canal as a result of which the water of the canal has become poisonous and health hazard has been created to the residents and cattle. It is also stated that there is a proposal for discharge of the drain water from the drains to be constructed on both side of Binauli Road in the canal.

2. Letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms. Hence, we deem it proper to implead the following respondents and issue notice to them ;-

(1). Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB),

(2). District Magistrate, Baghpat.

(3). Commissioner, Municipal Corporation, Baraut, Baghpat.

3. Let the notice be served upon the above respondents. Respondents are directed to file their response atleast one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. List on 06.03.2024

(१०)

5. A copy of this order, along with a copy of the petition, be forwarded to the Member Secretary, UPPCB, District Magistrate, Baghpat and Commissioner, Municipal Corporation, Baraut, Baghpat by e-mail for compliance."....

In continuation of acknowledgment of order of the Hon'ble Tribunal, Regional Officer UPPCB, Meerut vide letter dated 11.01.2024 made communication to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat for necessary action in respect of complaint raised before Hon'ble Tribunal **annexed as Annexure-1.** District Magistrate, Baghpat vide letter No. 853/ST Camp-75/NGT/2023, dated 23.01.2024 called report for disposal through ADM (F/R) making the mutual co-ordination by UPPCB, Irrigation department and Nagar Palika Parisad to produce before Hon'ble NGT **annexed as Annexure-2.**

Inspection of site and observation:-

Field inspection of site is carried out on 14.02.2024.

Nagar Palika Parisad (NPP), Badaut is an old town situated in district- Baghpat. It was town area in 1870 then Nagar panchayat in 1921 then Nagar Panchayat in 1966 then Nagar Palika Parisad since 2017. Population of the NPP Badaut is 1.03 Lacs as per census 2011.

Meerapur, Rajbaha is originated from Purvi Yamuna Nahar in Meerapur. Rajbaha is of 90 cusec capacity and terminated in Village Pilana, Baghpat after covering approx. 25 km stretch. Approx. 05 km length of Rajbaha flows in Baraut town. Major part of the town length of Rajbaha made Pakka by Nagar Palika Parishad making retaining wall for local roads laying long with Rajbaha.

Length of Rajbaha in town is inspected between Delhi-Saharanpur Highway to D/s of NPP. During inspection flow of water of irrigation system is not observed in the said Rajbaha and hence irrigation was not observed. Sewage/Septic Tank over flow (Grey Sewage) of adjacent area of both sides of Rajbaha in whole length of population is being discharged in Rajbaha through local nalees and Individual Outlets. It is very difficult to estimate the exact quantity of sewage discharge in Rajbaha. NPP may assess the quantity on the basis of per capita. It is presumed that sewage discharge in Rajbaha is approx. 1.50 MLD.

Nagar Palika Parishad vide its letter no. 77/2023-24/Mukhya Karyalya/Nirman, dated 30.01.2024 has issued work order to M/s Greenway Technologies, Vasundhara, G-9, ML-2, Gaur Empire, Sector-11, Ghaziabad, U.P. for Bioremediation of the discharge flowing through Rajbaha which is **annexed as Annexure-3**. During inspection it is found that bioremediation of the effluent is being carried out. Photographs taken during inspection is incorporated with report. Samples of the effluent flowing in the Rajbaha is collected from upstream near Delhi-Saharanpur Highway and downstream after bioremediation from NPP Border. Analysis report is **annexed as Annexure-4.** The quality of downstream of Rajbaha after bioremediation is found according to the standards prescribed for the irrigation purposes.

Thrown garbage and plastic waste is observed in the entire length of Rajbaha in town area, which reflects bad impact. It is acknowledged that irrigation department through its letter dated 25.10.2023 and 12.02.2024 raised objection to Nagar Palika Parishad to stop the illegal disposal of solid and plastic waste in Rajbaha. Copy of the letters are **annexed as Annexure-5.**

Findings:-

1. Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat should take necessary steps to stop illegal disposal of solid and plastic waste in Rajbaha.
2. NPP should immediately establish screens at required places to stop the plastics and garbage flow in the Rajbaha.
3. NPP Should regularly clean this channel.
4. NPP, Baraut should make plan for sewage network and treatment of the sewage.

Report is submitted for kind consideration.

Yogesh Kumar Mishra, A.E.E., U.P. Pollution Control Board, Meerut	[signature]
Suraj Pal Singh, A.E., Irrigation Division, Baraut, Baghpat	[signature]
Manoj Kumar Rastogi, Exicutive Officer, Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat	[signature]
Rajendra Joshi, A.E., Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat	[signature]

ENVIRO-TECH SERVICES
An Analytical Laboratory
(A GOVERNMENT APPROVED LAB)
ISO
Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001
email : etslab2012@gmail.com | Website www.etslab.in | Ph. 9911516076, 9811736063

TEST REPORT

TEST REPORT NO.: ETS/1847-6/02/2024 DATE OF REPORT: 08.02.2024

WASTE WATER SAMPLE ANALYSIS REPORT

Name And Address of Customer : M/s. EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD BARAUT, BAGPAT

Date of Sampling : 03.02.2024
Analysis Start Date : 05.02.2024
Analysis End Date : 08.02.2024
Sample ID No : 1847-6
Sampling Done By : ETS STAFF
Sampling Description : BEFORE TREATMENT
Sampling Location : MEERAPUR RAJWAHA (AMINAGAR SARAI ROAD CULVERT) WITHIN BOUNDARY NAGAR PALIKA PARISHAD BARAUT
Sampling Method : ETS/STP/WATER-02
Sample Quantity : 2.0 Ltr.
Packing Condition : SEALED
Packed In : P.V.C. CANE

S. No.	Test Parameter	Unit	Result	Test Method
1	pH	...	7.6	APHA 4500-H+
2	Total Suspended Solids,(TSS)	mg/L	122.0	APHA 2540-D
3	Oil & Grease, (O & G)	mg/L	1.4	APHA 5520-D
4	Biological Oxygen Demand(BOD_3 $27^{o}C$)	mg/L	88.0	IS: 3025 (Part-44)
5	Chemical Oxygen Demand,(COD)	mg/L	290.0	APHA 5220-B

*****End of Test Report*****

CHECKED BY
SHRADDHA GUPTA

For Enviro-...
AUTHORIZED SIGNATORY
Lab In...

Note:-
1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

ANX – 6

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

Sr. No.	Sampling Point	Date of Sampling	Colour	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)
1	Meerapur Rajwaha Baraut U/S	14.02.2024	Greyish	7.56	48	204	107
2	Meerapur Rajwaha Baraut D/S	14.02.2024	Greyish	7.67	52	216	112

19-2-24
LA

19.02.2024
JRF

19.02.24
JRF

Regional Officer
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Meerut

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

पत्रांक - 91 / 2023-24 / मुख्य कार्यालय दिनांक – 01 -07-2023

निरीक्षण आख्या

सदर्भ 164 / मा0मु0मु0स0वै0 / DESTO / 2023-23 / दिनांक 13-06-2023

नगर पालिका परिषद बडौत स्थित मीरापुर राजवाहा मे प्रवाहित नगर क्षेत्र का अपशिष्ट जल व कूडे की रोक-थाम हेतु किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या दिनांक 15-06-2023

उपस्थित अधिकारीगणः-

1. परियोजना निदेशक, बागपत।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) बागपत।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बागपत।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बडौत।
5. सहायक अभियन्ता (सिविल), नगर पालिका परिषद बडौत।
6. अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पालिका परिषद बडौत।

आज दिनांक 15-06-2023 को उपर्युक्त समस्त अधिकारीयो द्वारा बडौत नगर मे स्थित मीरापुर राजवाहे के नगर क्षेत्र मे उक्त राजवाहे / नाले के प्रारम्भिक स्थल (U/S दिल्ली सहारनपुर रोड, शमशानघाट वार्ड 17) से सराय रोड पर लगभग 2800 मीटर राजवाहे के सर्विस रोड पर चलकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त राजवाहा / नाला नगर क्षेत्र मे लगभग 2800 मीटर की लम्बाई मे अवस्थित हैं, जिससे वर्तमान मे सिचाई विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र की सिचाई व नगर के गन्दे पानी का निस्तारण किया जा रहा है। रजवाहा / नाला की चौडाई लगभग 4-5 मीटर है, तथा राजवाहा / नाले का भूतल कच्चा है। रजवाहे / नाले की दोनो साईड दिवारे कच्ची हैं, परन्तु जर्जर अवस्था मे हैं। राजवाहा / नाले की अनेको स्थानो पर सील्ट / सलज डिपोजिट व घास इत्यादि से अवरोधित है। बीच बीच मे 6 पुलिया निर्माणाधीन अथवा प्रास्तावित है। जिसके कारण विभिन्न स्थानो पर अस्थायी बांध बनाने के कारण जल प्रवाह बाधित है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि वर्षो से उक्त राजवाहे / नाले की सफाई / सिल्ट सफाई नही की गयी है। साथ ही साथ नगरवासियो द्वारा सम्पूर्ण 2800 मीटर की लम्बाई मे ठोस अपशिष्ट व कूडा नाले / राजवाहे मे डाल दिया जाता है। जिससे कि गम्भीर जनस्वास्थ्य प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती हैं। सम्पूर्ण 2800 मीटर लम्बाई मे नगर के लगभग 40 छोटे बडे नाले / नाली राजवाहे / नाले मे गिरा दिये गये है। जिसके कारणवश समस्या और विकराल हो चुकी है। उक्त राजवाहे / नाले मे मिल रही लगभग 40 छोटी वडी नगरीय ड्रेन का उल्लेख / विवरण संलग्न प्रेषित है, व उसको संलग्न नक्शे पर भी दर्शाया गया है।

समस्या के स्थायी निदान हेतु आवश्यक है कि नगर के वेस्ट वाटर, कूडा प्रबन्धन एवं मीरापुर राजवहे द्वारा सिचाई जल की आपूर्ति जैसे समस्त अवयव प्रथक-प्रथक किये जाये। नगर के वेस्ट वाटर जोकि लगभग 40 छोटे बडे ड्रेन द्वारा राजवाहे मे प्रवाहित किये जा रहे है को डाइवर्ट करके सीवर लाईन बिछाकर एवं STP निर्मित / शोधन कर उक्त राजवाहे मे प्रवाहित करना उचित होगा तथा नगर के ठोस कूडा प्रबन्धन हेतु शासन द्वारा प्रचलित व्यवस्था अनुसार निदान किया जाये। सिचाई विभाग द्वारा समस्त 2800 मीटर राजवाहे को आर0सी0सी0 Box Culvert निर्माण कर प्रवर्तित किया जाये ताकि न केवल उक्त राजवाहा ऊपर से क्लोज किया जा सके बल्कि राजवाहे की चौडाई को रोड के उपयोग हेतु भी प्रयोग मे लाया जा सकता है। Box Culvert की दोनो साईड आर0सी0सी0 होने के कारण भविष्य मे नगर की किसी भी नाली / नाले को उक्त राजवाहे मे मिलाने / प्रवाहित करने की सम्भावना समाप्त हो जायेगी।

उक्त राजवाहे मे दिल्ली सहारनपुर रोड पर एन0एच0ए0आई0 नाला, बुढाना रोड, महावीर मार्ग, गाँधी रोड, नेहरु रोड, गुराना रोड एवं सराय रोड इत्यादि रोड क्रासिंग पर नगर के बडे व मध्यम नाले रजवाहे मे प्रवाहित किये जा

(10)

रहे है । कतिपय नालो का पम्प करके राजवाहे मे डाला जा रहा है । परिणाम स्वरुप, प्रारम्भिक गणना अनुसार बडौत नगर की लगभग 1/3 आबादी का वेस्ट वाटर उक्त राजवाहे मे प्रवाहित किया जा रहा है । जिसके स्थायी निदान हेतु लगभग 15 किलोमीटर मैन सीवर लाईन, 5 MLD, STP, IPS, I&D Work व तत्सम्बन्धी कार्यो की आवश्यकता होगी

राजवाहे की क्लीनिग व आर0सी0सी0 क्लोज ड्रेन की भाति निर्माण कार्य सिचाई विभाग द्वारा किया जा सकता है । सीवर व STP से सम्बन्धित प्रस्ताव / आगणन नगर पालिका परिषद द्वारा STP की भूमि चिन्हित व उपलब्ध कराने के पश्चात अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत जल निगम नगरीय द्वारा उपलब्ध कराया जा सकाता है । परन्तु सिचाई विभाग द्वारा रजवाहे का आर0सी0सी0 नवीणीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति उपरान्त ही सीवर योजना के आगणन का विरचन करना उचित होगा । रजवाहे के नवीणीकरण व सीवर योजना के निर्माण उपरान्त राजवाहे मे डाले जा रहे ठोस अपशिष्ट की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जायेगी ।

01-07-23	01/7/2023	01-07-2023	
अवर अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अधिकारी**	**अधिशासी अभियन्ता**
न0पा0परि0 बडौत ।	**न0पा0परि0 बडौत ।**	**न0पा0परि0 बडौत ।**	**उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बागपत ।**

01/07/2023	01.7.23
अधिशासी अभियन्ता	**परियोजना निर्देशक**
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) बागपत ।	**बागपत ।**

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत बागपत।

मीरापुर रजवाहे की सफाई करते हुए पालिका सफाई मित्र –

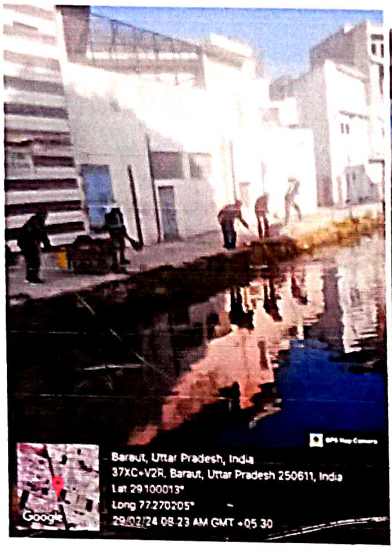

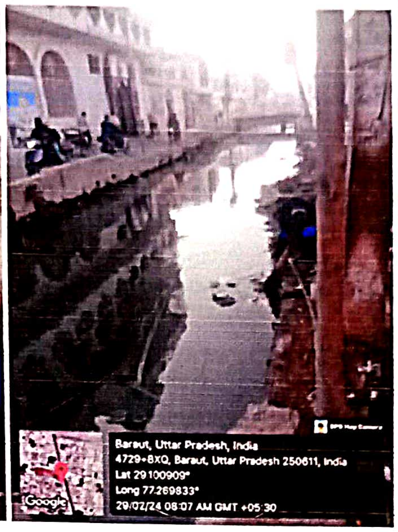

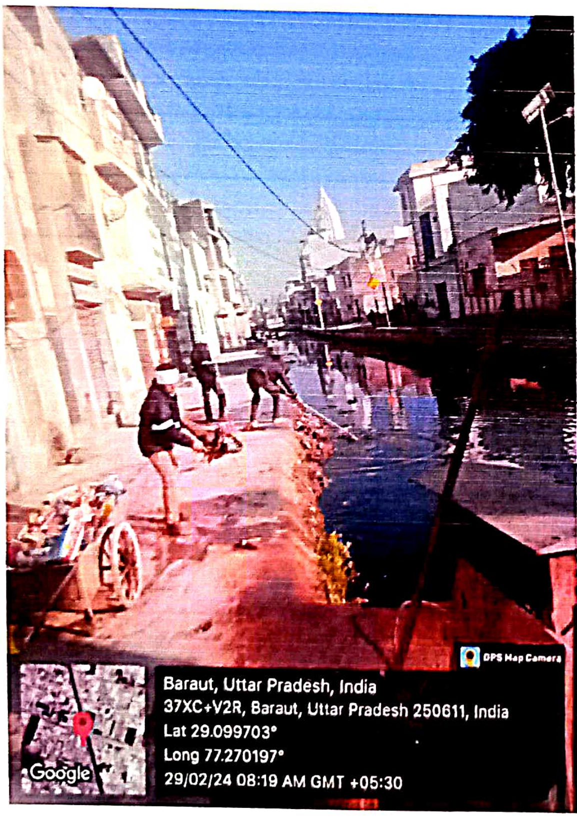

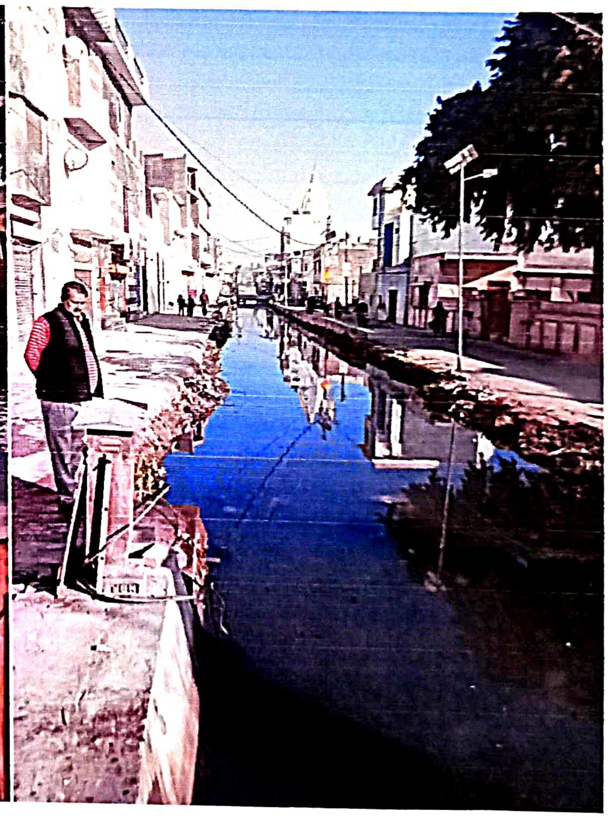

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
नगर पालिका परिषद

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बडौत

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत बागपत।

मीरापुर रजवाहे के निकट वार्डो में डोर टू डोर कूडा कलैक्शन

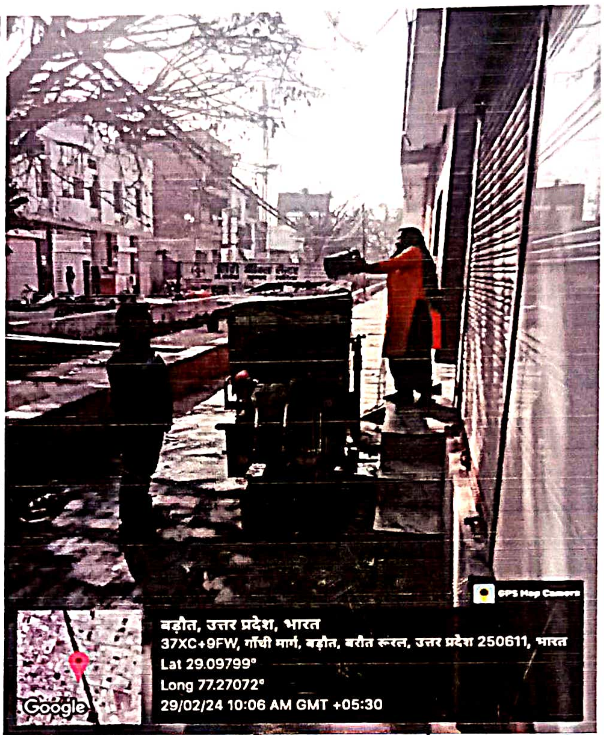

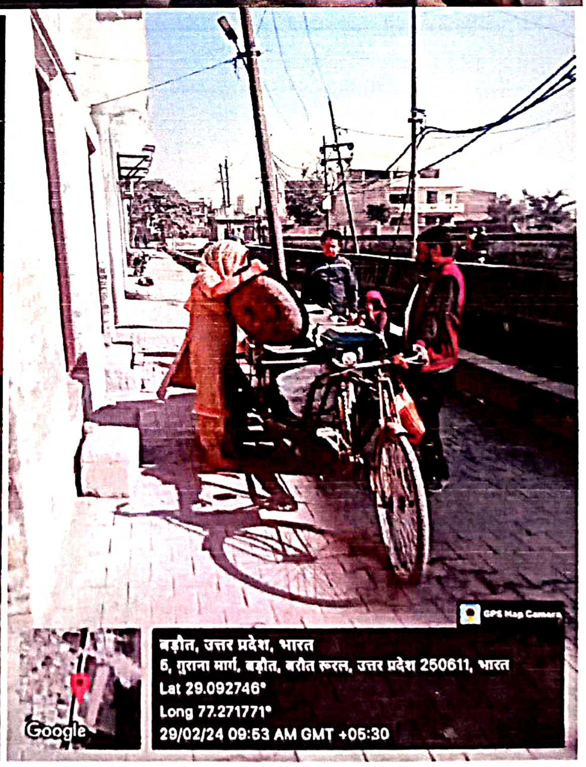

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
नगर पालिका परिषद

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बड़ौत

कार्यालय नगर पालिका परिषद बडौत (बागपत)।

मीरापुर रजवाहे में कूडा–कचरा ना डालने हेतु पालिका द्वारा फ्लैक्स बोर्ड लगाये गये–

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
बडौत (बागपत)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बड़ौत

Item No. 21 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 645/2023

Lalit Kumar Jain Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent

Date of hearing: 15.03.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Respondent: Mr. Ankit Verma, Adv. for R - 2 & 3
Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCB (Through VC)

ORDER

1. In this Original Application, the grievance is against discharge of sewage in the Irrigation Canal namely Rajwahe which flows from Baraut and goes to different villages and its water is used for the irrigation purposes. The complaint is against the Municipal Council, Baraut, District Baghpat, UP that it is permitting discharge of effluent from several drains in this canal which is creating health hazards. The Tribunal by order dated 18.01.2024 had impleaded the concerned respondents.

2. The response on behalf of the UPPCB has been filed disclosing that UPPCB had constituted a Joint Committee and the said Joint Committee had carried out inspection and had found that garbage and plastic was littered in the entire length of Rajwahe in the town area. The report of the UPPCB further reveals that sewage/septic tanks over flow (grey sewage), of adjacent area of both sides of Rajwahe in whole length of population, is

being discharged in Rajwahe through local nalees and individual outlets. The sewage discharge in Rajwahe is approximately 1.5 MLD. The report acknowledges the illegal disposal of solid waste and plastic waste is Rajwahe and records following findings:-

> "1. *Nagar Palika Parishad, Baraut, Baghpat should take necessary steps to stop illegal disposal of solid and plastic waste in Rajbaha.*
>
> 2. *NPP should immediately establish screens at required places to stop the plastics and garbage flow in the Rajbaha.*
>
> 3. *NPP Should regularly clean this channel.*
>
> 4. *NPP, Baraut should make plan for sewage network and treatment of the sewage."*

3. Though, the Municipal Council has failed to discharge its responsibility to prevent the discharge of sewage and other pollutants in the canal in question but the report of the UPPCB does not reflect any action by the local authorities including the action of imposition of Environmental Compensation (EC).

4. The water quality analysis report submitted by UPPCB signed on 19.02.2024 shows BOD values of 48 mg/l and 52 mg/l at sampling point of Meerapur Rajwaha Baraut Upstream and downstream locations respectively which is non-compliant to prescribed standares of a stream.

5. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now the due action will be taken by the UPPCB against the erring local bodies within a period of six weeks and action taken report will be filed. Let the same be filed at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Meanwhile, it will also be open to the Municipal Council to file the response indicating the remedial actions which are taken/proposed for interception and diversion of drainages flowing to the canal and preventing disposal of solid waste.

7. List on 22.05.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 15, 2024
Original Application No. 645/2023
SN